न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त./26/2025

1. राजेन्द्र उर्फ रज्जो
2. सन्तोष
3. नरेश
4. पवन

पुत्रगण स्व0 बाबूलाल जाति वैश्य निवासी रायसीस हाल निवासी सिन्धी कॉलोनी नदबई, तहसील नदवई, भरतपुर

5. विशम्भर
6. नरेश
7. रमेश

पुत्रान किरोडी जाति वैश्य निवासी रायसीस हाल निवासी कुम्हेर रोड कटरा नदबई बीयर हाउस के सामने नदबई तहसील नदबई जिला भरतपुर

8. सुरेश
9. महेश
10. दिनेश
10. मुकेश

पुत्रगण कन्हैया जाति वैश्य निवासी सिन्धी कॉलोनी कटरा नदबई तहसील नदबई, जिला भरतपुर

..........प्रार्थी0

बनाम

1. बृजेन्द्र प्रसाद पुत्र जगनप्रसाद जाति वैश्य निवासी रायसीस हाल निवासी बुद्ध की हाट पुराने गंगाजी के मन्दिर के बगल में भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर
2. गणेश पुत्र दुर्गाप्रसाद
3. सोनिया पुत्री दुर्गाप्रसाद
4. मायादेवी पत्नि दुर्गाप्रसाद

जाति वैश्य निवासी रामजीलाल जगनप्रसाद रायसीस वाले पुराने गंगाजी के मन्दिर के बगल में बुद्ध की हाट, भरतपुर।

5. कपूरचन्द
6. अशोक कुमार
7. पूरनचन्द

पुत्रगण शिवचरन जाति वैश्य निवासी शिवचरन कपूरचन्द रायसीस वाले मण्डी अटलबन्द भरतपुर तहसील व जिला भरतपुर।

8. सरकार जरिये तहसीलदार नदवई, जिला भरतपुर

..........अप्रार्थी0

प्रार्थना पत्र मुन्तकिली विरुद्ध उपखण्ड अधिकारी नदबई श्री गंगाधर मीना, प्रकरण संख्या 19/2024 शीर्षक बृजेन्द्रप्रसाद बनाम राजेन्द्र वगै0।

उपस्थितः–
1–श्री महाराज सिंह डागुर, अभिभाषक प्रार्थी,
2–श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी–1, 4 लगा. 9

निर्णय

दिनांक .05.2025

प्रार्थी ने यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण वखिलाफ उपखण्डाधिकारी नदबई इस आशय का पेश किया गया है, जो संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि एक प्रकरण संख्या 19/2024 शीर्षक बृजेन्द्र प्रसाद बनाम

......2

जिला कलक्टर
भरतपुर

राजेन्द्र वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई में विचाराधीन है। उक्त मुकदमें में गैरप्रार्थीगण, द्वारा उप जिला कलक्टर नदबई से न्याय मिलने में शंका है। विपक्षी सं0 1 ने उनसे सांठ गांठ कर ली है और उनका आपस में कुछ लेन देन भी हो चुका है। अप्रार्थी0 द्वारा धमकी दी है कि पीठासीन अधिकारी उनके हक में फैसला करेगा। इससे प्रार्थी को शंका हो गई है कि उसे पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई से न्याय नहीं मिल सकता है इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र पर उपखण्ड अधिकारी नदबई से टिप्पणी तलब की गई। उपखण्ड अधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी शामिल मिसिल की गई। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि पक्षकारान के मध्य एक दावा उपखण्ड अधिकारी नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है, एक प्रकरण संख्या 19/2024 शीर्षक बृजेन्द्रप्रसाद बनाम राजेन्द्र वगै0 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई में विचाराधीन है। उक्त मुकदमें में गैरप्रार्थीगण, द्वारा उपजिला कलक्टर नदबई से न्याय मिलने में शंका है। विपक्षी सं0 1 ने उनसे सांठ गांठ कर ली है और उनका आपस में कुछ लेन देन भी हो चुका है। उपखण्डाधिकारी नदबई से हमारी बात हो गई है। वे हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को शंका हो गई है कि पीठासीन अधिकारी अप्रार्थी के हक में फैसला करेंगें। इसलिये प्रार्थना पत्र मुन्तकिली स्वीकार किया जाकर न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में विचाराधीन दावा को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जावे।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी ने जबाव में अंकित कथनों को दौहराते हुये बताया कि प्रार्थना पत्र मुन्तकिल में झूंठे आरोप लगाये गये हैं। अप्रार्थी बृजेन्द्र प्रसाद करीबन 68-69 वर्ष के व्यक्ति हैं तथा बीमार रहते हैं तथा घर से कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं। ऐसा बीमार एवं वृद्ध व्यक्ति कहॉ से पीठासीन अधिकारी से सांठ गांठ कर लेगा। पीठासीन अधिकारी से अप्रार्थी0 की ना ही किसी प्रकार की कोई जान पहचान है और ना ही किसी प्रकार की कोई मिलीभगत है। प्रार्थी0 न्यायालय उपखण्डाधिकारी नदबई में लम्बित दावे का निस्तारण नहीं होने देना चाहते। मुन्तकिली प्रार्थना पत्र को रंग देने के उद्देश्य से प्रार्थी0 द्वारा प्रार्थना पत्र में उक्त बातें अंकित की गई है। साथ ही वकील अप्रार्थी का कहना है कि प्रार्थी0 द्वारा पूर्व में भी प्रकरण को देरीना करने के उद्देश्य से मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किये जाते रहे हैं। पीठासीन अधिकारी उपखण्डाधिकारी नदबई द्वारा पूर्ण निष्पक्ष रूप से विधिवत सुनवाई की जा रही है। प्रार्थी का उद्देश्य विचाराधीन दावा को देरीना करने का है। गलत तथ्यों के आधार पर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करना उसकी रेमेडी नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

......3

जिला कलक्टर
भरतपुर

प्रा.पत्र मुन्त. / 26 / 2025
राजेन्द्र उर्फ रज्जो वगै0 बनाम बृजेन्द्र प्रसाद वगै.

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया। उपखण्डाधिकारी नदबई से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने मौखिक लगाये गये आरोपों के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य हमारे समक्ष पेश नहीं किया गया है जिससे उसके मौखिक कथनों की पुष्टी हो सके। दौराने बहस वकील अप्रार्थी द्वारा फोटो प्रति माननीय राजस्व मण्डल अजमेर प्रकरण मुन्तकिली प्रा.पत्र टी.ए.एक्ट संख्या 3814 / 2024 उनवानी महेश बनाम श्री गंगाधर मीणा वगै0 निर्णय दिनांक 28.10.2024 के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थीगण 10 कस में से एक प्रार्थी द्वारा तहत न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के विरूद्ध भी माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में मुन्तकिल किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो माननीय राजस्व मण्डल ने अपने उक्त निर्णय द्वारा खारिज किया गया है। इससे यह निर्विवाद है कि प्रार्थीगण तहत न्यायालय में विचाराधीन दावों / प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण नहीं होने देना चाहते हैं। प्रार्थी का उद्देश्य, विचाराधीन दावों / प्रकरणों को देरीना करने के सिवाय और कुछ नहीं है। अस्तु प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि –

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र मुन्तकिली खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति उपखण्डाधिकारी नदबई को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर